# कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर
## जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
## विज्ञापन

क्र/8853/जि.पं./MGNREGA/स्था./2016–17 बिलासपुर, दिनांक 29/12/2016

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/1620/वि–3/मनरेगा/26/07 रायपुर दिनांक 20.03.2007 द्वारा एवं आयुक्त महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा.योजना रायपुर का पत्र क्रमांक/2697/वि–7/मनरेगा/2014 रायपुर दिनांक 30.07.2014 के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति एक वर्ष के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाना है। जिसके लिए बिलासपुर जिले के समस्त विकासखण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के कार्यालय में निम्न विवरण अनुसार आवेदन दिनांक .....18/01/2017..... तक आमंत्रित किये जाते है:–

विकासखण्डवार आरक्षित पद का विवरण:–

| क्र | जनपद पंचायत का नाम | रिक्त पदों की संख्या | सामान्य | | | | | अन्य पिछड़ा प्रवर्ग | | | | | अनुसूचित जाति | | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मुक्त | म | निःशक्त | भू.पू.सै. | योग | मुक्त | म | निःशक्त | भू.पू.सै. | योग | मुक्त | म | निःशक्त | भू.पू.सै. | योग | मुक्त | म | निःशक्त | भू.पू.सै. | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | बिल्हा | 52 | 10 | 7 | 2 | 3 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | तखतपुर | 49 | 13 | 5 | 2 | 3 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | कोटा | 44 | 10 | 6 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | मस्तूरी | 57 | 15 | 6 | 4 | 1 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | पेण्ड्रा | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | गौरेला | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | मरवाही | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| महायोग | | 270 | 64 | 11 | 12 | 13 | 120 | 25 | 12 | 2 | 2 | 41 | 31 | 12 | 0 | 1 | 44 | 40 | 19 | 0 | 6 | 65 |

<u>नोटः–</u> महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के मुक्त श्रेणी के अन्तर्गत चयन किया जा सकेगा।

## अनिवार्य योग्यताएं :–

1. ग्राम रोजगार सहायक पद हेतु चयनित प्रत्याशी का उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है।
2. ग्राम रोजगार सहायक पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, अजा/अजजा प्रवर्ग हेतु 10वीं पास।
3. चयन हेतु 100 अंको वाली मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंको का अधिभार 65 प्रतिशत एवं मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट (PGDCA/DCA/ITI) के आधार पर 20 अंक दिया जावेगा।
4. अनुभवः– (अ) शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान मानदेय पर कार्य के अनुभव पर प्रत्येक वर्ष 03 अंक के आधार पर अधिकतम 15 अंक।

   **अथवा**

   (ब) पंचायत सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद पर कम से कम 06 माह के अनुभव पर 15 अंक दिया जावेगा।

5. मानदेय (एकमुश्त):– ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति संविदा पर रूपये 4000/– मासिक (यात्रा व्यय सहित) देय होगी।
6. आवेदन के साथ 10+2 (बारहवीं) परीक्षा की अंकसूची, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, संबंधित ग्राम पंचायत का निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र (जो उपयुक्त हो) संलग्न करें।
7. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत बिलासपुर के वेबसाईड **www.zpbilaspur.gov.in** व **cg.nic.in/epanchayat** तथा प्रत्येक संबंधित जनपद पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है।

## नियम एवं शर्तेः–

1. संविदा नियुक्ति छ.ग.शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जायेगी।
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 नया रायपुर 25/04/2013 एवं पंचायत आयुक्त महोदय मनरेगा इंद्रावती भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक 2697/वि–7/MGNREGA/2014 दिनांक 30/07/2014 एवं सचिव महोदय छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक 196/पंग्राविवि/22/2016 रायपुर दिनांक 20.01.2016 में दिए गए नवीन निर्देशों का पालन किया गया है।
3. छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र कमांक 1157/पं.ग्रा.वि.वि./22/2016 रायपुर, दिनांक 05.04.2016 के माध्यम से स्वीकृत पदों की स्वीकृति अनुसार नियुक्त उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28.02.2017 तक के लिए होगी, तत्पश्चात नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर व संविदा नियुक्ति की उपयुक्ता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वंयमेव समाप्त मानी जायेगी।
4. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष 18 दिनो का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवा मुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना के अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णांकित किया जावेगा।
5. संविदा पर की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना कारण बताए कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
6. अभ्यर्थी को विकासखण्ड बिल्हा/कोटा/मरवाही/पेण्ड्रा/गौरेला/मस्तूरी/तखतपुर का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.03.2013 के अनुसार आयु सीमा में 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए, तथा अजा/अजजा/अपिव /निःशक्त/ भूतपूर्व सैनिक आदि के आवेदकों को छ.ग. शासन प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।
8. आयु की गणना दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में की जाएगी।

9. आयु संबंध प्रमाण पत्र के लिए सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल/जन्म प्रमाण पत्र अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित/सत्यापित) मान्य होंगे। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।
10. अजा./अजजा./अपिव. वर्ग के आवेदकों को जाति की पुष्टि हेतु प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की (स्वप्रमाणित/सत्यापित) छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र नही होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
12. दिव्यांग अभ्यर्थी दिव्यांगता के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित/सत्यापित) संलग्न करें जिसमें शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र अनुसार दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है।
13. आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के उपर "ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र" एवं आवेदित ग्राम पंचायत का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे साथ ही आवेदन पत्र के साथ 2 स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें आवश्यक डाक टिकट लगा हो, संलग्न करे। संलग्न लिफाफे में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा जावे।
14. अभ्यर्थी को आवेदित ग्राम पंचायत का मूल निवासी होने पर प्राथमिकता दी जायेगी। मूल निवासी के पात्र न होने की स्थिति में अन्य ग्राम पंचायतो से प्राप्त आवेदन पर विचार किया जावेगा।

15. <u>आवेदक जो पात्र नही होंगे :–</u>

i. जिन आवेदकों की 02 से अधिक संताने हों, जिनमें से 01 का जन्म 26.11.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
ii. महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरूषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होगें। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।
iii. पूर्व में पद से पृथक किये उम्मीदवार पात्र नही होगें। कृपया पुनः आवेदन न करें।

16. <u>चयन प्रकिया :–</u> विज्ञापित पद के लिए आवेदक का चयन तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार किया जावेगा।

i. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता के आदेशानुसार बनाई गई परीक्षण समिति/चयन समिति/मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
ii. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाकर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
iii. तैयार मेरिट सूची से अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच किया जावेगा।
iv. प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन पश्चात् जारी किया जावेगा।
17. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
18. प्राप्त आवेदनों एवं चयन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय जिला बिलासपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
19. कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की समिति के समक्ष सत्यापन किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की विभिन्नता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। समस्त प्रमाण पत्रों की जांच सही पाये जाने पर ही नियुक्ति आदेश के तहत् कार्यभार प्रदान किया जावेगा।
20. नियुक्ति के पश्चात् जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
21. संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी होने को प्रमाण स्वरूप आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
22. आयुक्त रोजगार गांरटी योजना रायपुर द्वारा समय समय पर चयन के संबंध में प्रसारित दिशा निर्देश एवं मापदण्डों का पालन किया जावेगा।
23. जिन ग्राम पंचायतों में पात्र अभ्यर्थी के आवेदन पत्र प्राप्त नही होते है, तो उनके स्थान पर जनपद पंचयत से उसी वर्ग के अभ्यर्थी का मेरिट अनुसार चयन कर नियुक्ति किया जावेगा। किसी भी स्थिति में अन्य जनपद के निवासी का आवेदन पत्र मान्य नही किया जाएगा।

24. भूतपूर्व सैनिक/विकलांग वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर अन्य प्रवर्गो के अभ्यर्थी लिए जा सकेंगे।
25. पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र होंगे।
26. नियोक्ता के साथ करार पत्र (संविदा पत्र) निष्पादित करना होगा।
27. उपरोक्त समस्त नियम/शर्तें नियुक्ति किए जाने की स्थिति में वांछनीय होगी।
28. वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि सहित उम्मीदवार का आवेदन **18/01/2017** (सायं 5:30 तक) कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा/कोटा/मस्तूरी/तखतपुर/पेण्ड्रा/गौरेला/मरवाही जिला बिलासपुर के नाम से अनिवार्य रूप से प्राप्त हों जाने चाहिये। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन केवल संबंधित जनपद के कार्यालय में ही प्रेषित की जावें। **किसी भी स्थिति में आवेदन कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर में प्रेषित न की जावे।**
29. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ स्थायी मूल निवास की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे।
30. शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करे।
31. नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार चयन समिति को होगा।

**(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, बिलासपुर

पृ. कमांक/ /स्थापना/जि.पं./MGNREGA/2016–17 बिलासपुर, दिनांक / /2016

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभाग आयुक्त, संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महोदय, जिला बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत सर्व जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर E-Panchayat जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, बिलासपुर

# —: आवेदन पत्र का प्रारूप :—
# ग्राम रोजगार सहायक के पर नियुक्ति आवेदन पत्र

स्वप्रमाणित हाल की पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत .....

1. आवेदित ग्राम पंचायत का नाम .....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) .....
   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) .....
3. पिता/पति का नाम .....
4. माता का नाम .....
5. जाति (अजा/अजजा/अपिव/सामान्य वर्ग) .....
6. लिंग (पुरूष/महिला) .....
7. जन्मतिथि (अंको में) .....
   (शब्दों मे) .....
8. आयु (01/01/2017 के अनुसार) वर्ष.....माह.....दिन.....
9. पत्र व्यवहार का पूरा पता .....
   (वर्तमान डाक का पता) .....
   .....
10. स्थायी पता .....
    .....
    .....
    .....
11. दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....

शैक्षणिक योग्यता :— .....

| क. | उत्तीर्ण परीक्षा | बोर्ड/वि.वि. का नाम | उत्तीर्ण करने का वर्ष | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिषत | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

12. कार्य अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

| अनुभव संस्था का नाम ..... पद का नाम..... | | |
|---|---|---|
| अनुभव की अवधि | – | |
| अनुभव का कार्यक्षेत्र | – | |

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन — पंजीयन कमांक .....दिनांक.....
रोजगार कार्यालय का नाम .....

14. क्या आप विवाहित है? यदि है तो विवाह की तिथि .....
जीवित बच्चो की संख्या (बच्चे का नाम .....
/लिंग एवं जन्म तिथि) .....

15. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है/थे ? (यदि हो तो .....
कार्यालय प्रमुख का का अनापत्ति प्रमाण
पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

16. भूत पूर्व सैनिक होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की .....
सत्यापित प्रति संलग्न करें।

17. क्या ओवदक विकलांग है, यदि हां तो विकलांगता का प्रकार (सक्षम प्राधिकारी .....
द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

18. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक .....
प्रकरण पुलिस थाने/न्यायालय में लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं तिथि आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें।

टीपः– जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता अनुभव/अनापत्ति व्यवसायिक योग्यता तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित अथवा शासन के राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति संलग्न करें।

**संलग्न :– सहपत्रो की सूची –**

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

आवेदक के हस्ताक्षर

# घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हू कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है। इसमें से कोई जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तिकर्ता अधिकारी बिना बताये मेरे आवेदन/चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकारी होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर

(नाम एवं पूरा नाम)